# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

**शिमला, बुधवार, 12 अगस्त, 2009 / 21 श्रावण, 1931**


**हिमाचल प्रदेश सरकार**

**ADVOCATE GENERAL, DEPARTMENT**
**STATE OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA**

NOTIFICATION

*Shimla*-171001, *the* 11*th August*, 2009

**No. 1-8/94-II-23317.—**Sanction is hereby accorded to the grant of 20 days earned leave with effect from 10th to 29th August, 2009 in favour of Shri P. M. Negi, Deputy Advocate General, of this department with permission to avail prefix/suffix second Saturday and Sundays, falling on 8th, 9th and 30th August, 2009. Certified that Shri P. M. Negi, Deputy Advocate General would have continued to officiate, but for his proceeding on 20 days earned leave and that this period of leave will count for earning annual increment.

Certified that the said Shri P. M. Negi, Deputy Advocate General is likely, on the expiry of leave to return for duty to the station from where he proceeds on leave.

By Order,
Sd/-
*Advocate General.*

---

## वहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

### अधिसूचनाएं

24 जुलाई, 2009

**संख्या विद्युत–छ–(5)–29 / 2009**.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा–3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल कोटला मांगन, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा–17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा–5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे ।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय भू–अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम, उत्तम भवन, नजदीक सुरंग नं0 103, शिमला–3, जिला शिमला, हि0 प्र0 में किया जा सकता है।

### विवरणी

| जिला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | रकबा (बीघों में) |
|---|---|---|---|---|
| सिरमौर | राजगढ़ | कोटला मागन | 759/471/1 | 0-12 |
| | | | 760/471/1 | 6-17 |
| | | | 765/471/1 | 2-3 |
| | | | 766/471/1 | 1-17 |
| | | | 767/471/1 | 17-5 |
| | | | 825/813/778/473/1 | 41-16 |

| | |
|---|---|
| 825/813/778/473/2 | 2-10 |
| 473/1 | 13-0 |
| 713/476 | 41-14 |
| 838/475 | 1-18 |
| 839/475 | 0-13 |
| 840/475 | 0-13 |
| 841/475/1 | 1-0 |
| 841/475/2 | 1-19 |
| 876/768/473 | 0-3 |
| 877/768/473 | 0-2 |
| 878/768/473 | 0-2 |
| 879/768/473 | 0-4 |
| 880/768/473 | 1-8 |
| 881/768/473/1 | 0-4 |
| 881/768/473/2 | 1-11 |
| 882/768/473 | 2-8 |
| 769/473 | 3-12 |
| 790/516/1 | 3-8 |
| 492/1 | 5-16 |
| 814/784/489 | 5-0 |
| 815/784/489/1 | 21-4 |
| 815/784/489/2 | 0-9 |
| 888/783/489 | 0-6 |
| 889/783/489 | 0-15 |
| 853/546/487 | 0-5 |
| 854/546/487 | 0-11 |
| 855/546/487 | 0-1 |
| 856/546/487 | 0-1 |
| 857/546/487 | 0-8 |
| 736/545/487 | 1-0 |
| 737/545/487 | 1-7 |
| 779/486 | 0-10 |
| 780/486 | 0-9 |
| 781/486 | 0-3 |
| 782/486 | 0-11 |
| 488 | 2-12 |
| 474/1 | 0-19 |
| 824/813/778/473 | 0-2 |

**कुल कित्ता–44** **कुल रकबा–189.8 बीघा**

24 जुलाई, 2009

**संख्या विद्युत.–छ–(5)–31 / 2009.**––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा–3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल लाना भल्टा, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह

अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा–17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा–5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे ।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय भू–अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम, उत्तम भवन, नजदीक सुरंग नं0 103, शिमला–3, जिला शिमला, हि0 प्र0 में किया जा सकता है।

**विवरणी**

| जिला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | रकबा (बीघों में) |
|---|---|---|---|---|
| सिरमौर | पच्छाद | लानाभल्टा | 2 | 3.0 |
| | | | 65/4 | 4-0 |
| | | | 83/5 | 2-0 |
| | | | 84/5/2 | 4-6 |
| | | | 51/6 | 2-5 |
| | | | 123/76/7/2 | 5-0 |
| | | | 126/118/8 | 3-15 |
| | | | 56/14 | 3-0 |
| | | | 15 | 6-2 |
| | | | 58/16 | 4-2 |
| | | | 23 | 9-2 |
| | | | 26 | 1-12 |
| | | | 69/62/22 | 5-6 |
| | | | 68/62/22/2 | 1-19 |
| | | | 91/70/62/22/2 | 15-18 |
| | | | 93/25/1 | 7-1 |
| | | | 66/43 | 7-16 |
| | | | 136/79/67/43/4/1 | 4-14 |
| | | | **कुल कित्ता–18** | **कुल रकबा–90.18 बीघा** |

24 जुलाई, 2009

**संख्या विद्युत–छ–(5)–33 / 2009.**––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा–3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल जैन्चा मझाई, उप तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा–17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा–5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे ।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय भू–अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम, उत्तम भवन, नजदीक सुरंग नं0 103, शिमला–3, जिला शिमला, हि0 प्र0 में किया जा सकता है।

**विवरणी**

| जिला | उप तहसील | गांव | खसरा नम्बर | रकबा (बीघों में) |
|---|---|---|---|---|
| सिरमौर | ददाहू | जैन्चा मझाई | 36 | 1.1 |
| | | | 50 | 0-10 |
| | | | 2 | 61-6 |
| | | | 51 | 0-11 |
| | | | 52 | 3-5 |
| | | | 53 | 7-7 |
| | | | 54 | 0-6 |
| | | | 55 | 9-6 |
| | | | 56 | 3-14 |
| | | | 503/57 | 2-12 |
| | | | 504/57 | 2-13 |
| | | | 58 | 4-12 |
| | | | 59/2 | 26-2 |
| | | | 65/1 | 0-4 |
| | | | 67/1 | 0-11 |
| | | | 68 | 0-2 |
| | | | 69 | 0-8 |
| | | | 70 | 3-6 |
| | | | 71 | 4-9 |
| | | | 72 | 5-9 |
| | | | 76 | 0-13 |
| | | | 90 | 0-7 |
| | | | 125 | 2-10 |
| | | | 129 | 0-5 |
| | | | 130 | 0-7 |
| | | | 133 | 0-11 |
| | | | 172 | 14-10 |
| | | | 247 | 1-8 |
| | | | 248 | 2-13 |
| | | | 249 | 2-0 |
| | | | 252 | 0-9 |

| | |
|---|---|
| 253 | 0-5 |
| 244/1 | 0-4 |
| 267/2 | 99-4 |
| 505/268 | 2-2 |
| 507/268 | 5-2 |
| 255 | 0-13 |
| 257 | 0-15 |
| 258 | 0-18 |
| 259 | 3-14 |
| 269/1 | 3-12 |
| 260 | 2-12 |
| 261/1 | 1-14 |
| 348 | 1-7 |
| 349 | 2-4 |
| 508/350 | 0-2 |
| 352/2/2 | 41-2 |
| 353/1 | 115-16 |
| 354/2 | 76-14 |
| 355 | 7-15 |
| 356 | 75-7 |
| 360 | 1-15 |
| 361 | 5-9 |
| 362 | 0-18 |
| 363 | 5-6 |
| 368 | 0-18 |
| 372 | 3-7 |
| 373 | 2-9 |
| 374 | 1-2 |
| 375 | 28-2 |
| 376 | 1-2 |
| 377 | 9-3 |
| 378 | 0-1 |
| 379 | 0-3 |
| 380 | 0-7 |
| 381 | 1-16 |
| 382 | 0-1 |
| 383 | 0-1 |
| 384 | 0-2 |
| 385 | 1-12 |
| 386 | 0-4 |
| 387 | 0-4 |
| 388 | 5-14 |
| 460/1 | 0-16 |
| 461 | 0-3 |
| 462 | 0-2 |
| 463 | 0-4 |
| 470 | 0-8 |
| 474 | 1-9 |
| 475 | 1-1 |
| 476 | 0-9 |
| 477 | 0-7 |
| 478 | 0-19 |

| | |
|---|---|
| 479 | 0-12 |
| 480 | 0-15 |
| 481 | 1-2 |
| 482 | 0-14 |
| 483 | 0-14 |
| 484 | 0-18 |
| 485 | 0-11 |
| 486 | 2-12 |
| 490 | 2-15 |
| 487 | 1-0 |
| 488 | 0-11 |
| 489 | 0-12 |
| 491 | 0-14 |
| 492 | 0-13 |
| 493 | 0-13 |
| 494 | 1-8 |
| 495 | 1-3 |
| 496 | 7-9 |
| 497 | 3-4 |
| 498 | 23-2 |
| 499 | 41-17 |
| 501 | 1-13 |
| 502/1 | 7-13 |
| 450 | 1-6 |
| 451 | 1-11 |
| 518/509/350 | 1-16 |
| **कुल कित्ता–109** | **कुल रकबा–787–1 बीघा** |

24 जुलाई, 2009

**संख्या विद्युत–छ–(5)–35 / 2009**.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा–3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल बोगली ब्यालग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा–17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा–5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे ।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय भू–अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम, उत्तम भवन, नजदीक सुरंग नं0 103, शिमला–3, जिला शिमला, हि0 प्र0 में किया जा सकता है।

**विवरणी**

| जिला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | रकबा (बीघों में) |
|---|---|---|---|---|
| सिरमौर | पच्छाद | बोंगली ब्यालग | 151/1 | 5-1 |
| | | | 150/1 | 4-15 |
| | | | 2 | 5-13 |
| | | | 106/3 | 4-1 |
| | | | 107/3 | 5-13 |
| | | | 119/4 | 6-1 |
| | | | 103/11 | 0-3 |
| | | | 104/11 | 0-5 |
| | | | 105/11 | 1-7 |
| | | | 10 | 3-9 |
| | | | 12 | 1-3 |
| | | | 15 | 0-2 |
| | | | 16 | 1-16 |
| | | | 13 | 0-2 |
| | | | 14 | 2-13 |
| | | | 20 | 0-5 |
| | | | 160/21/2 | 1-7 |
| | | | 161/21/2 | 6-4 |
| | | | 162/21/2 | 2-15 |
| | | | 154/29 | 0-19 |
| | | | 155/29 | 3-5 |
| | | | 27 | 3-9 |
| | | | 28 | 0-5 |
| | | | 144/1 | 1-16 |
| | | | 145/1 | 0-8 |
| | | | 146/1 | 2-0 |
| | | | 22 | 0-5 |
| | | | 23 | 0-4 |
| | | | 19/1 | 1-4 |
| | | | 24/1 | 0-8 |
| | | | 25/2 | 13-3 |
| | | | 21/1/2 | 55-11 |
| | | | 159/29/2 | 15-0 |
| | | | 30/1 | 0-5 |
| | | | 126/31/1 | 0-19 |
| | | | 156/29/1 | 3-7 |
| | | | 26 | 0-5 |
| | | | **कुल कित्ता–37** | **कुल रकबा–155.8 बीघा** |

1 अगस्त, 2009

**संख्या विद्युत–छ–(5)–30 / 2009.**––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा–3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा

अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल लाना मच्छेर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा–17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा–5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे ।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय भू–अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम, उत्तम भवन, नजदीक सुरंग नं0 103, शिमला–3, जिला शिमला, हि0 प्र0 में किया जा सकता है।

**विवरणी**

| जिला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | रकबा (बीघों में) |
|---|---|---|---|---|
| सिरमौर | पच्छाद | लानामच्छेर | 2 | 1-4 |
| | | | 20 | 28-12 |
| | | | 34/1 | 1-16 |
| | | | 34/2 | 1-18 |
| | | | 37 | 1-6 |
| | | | 45 | 1-3 |
| | | | 46 | 9-0 |
| | | | 47 | 39-2 |
| | | | 48 | 0-6 |
| | | | 49 | 3-0 |
| | | | 50 | 16-5 |
| | | | 51 | 2-0 |
| | | | 231/1 | 1-17 |
| | | | 235/1 | 6-15 |
| | | | 238 | 59-3 |
| | | | 282/241 | 5-0 |
| | | | 283/241 | 5-0 |
| | | | 415/241/1 | 3-8 |
| | | | 418/312/294/241/1 | 153-13 |
| | | | 405/226/1 | 1-10 |
| | | | **कुल कित्ता–20** | **कुल रकबा–338.19 बीघा** |

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव ।

## बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

27 जुलाई, 2009

**संख्या विद्युत–छ–(10)2 / 2003.**––राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, मलाणा–II जल विद्युत परियोजना (100 MW) के निर्माण हेतु भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 से 16 (दोनों शामिल) तथा धारा 18–37 (दोनों शामिल) के प्रावधान लागू करने हेतु धारा 41 के अन्तर्गत मैसर्ज एवरेस्ट पावर प्रा0 लि0, 1st हऊस, भूमिया एस्टेट, नव बहार रोड, छोटा शिमला–171002 के साथ हुए इकरारनामा (अनुबन्ध–क) को धारा–42 के अन्तर्गत प्रकाशन करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव।

––––––––––

**अनुबन्ध–क**

AGREEMENT UNDER SECTION 41 OF THE LAND ACQUISITION ACT, 1894

In respect of

Malana –II Hydroelectric Project (100 MW)

THIS AGREEMENT is made on this 21st day of July, Two thousand nine.

BETWEEN

The M/s Everest Power Private Limited, a Company registered under the Companies Act, 1956 and having it registered office at 1st House, Bhumia Estate, Nav Bahar Road, Chotta Shimla–171002 (H.P.) Through Shri Rajender Kumar Pirta, General Manager, appointed by the Company as its Attorney hereinafter called "The Company" which expression shall include its heirs, successors and assigns) of the first part.

AND

THE GOVERNOR of Himachal Pradesh through the Principal Secretary (Power) to the Government of Himachal Pradesh (Hereinafter called the "Government", which expression shall include its successors in office and assigns) of the Second part.

WHEREAS, upon the application of the Company for the acquisition of surface rights over land required for implementation of 100 MW, Malana – II Hydroelectric Project, the Government of Himachal Pradesh have agreed to acquire the land on behalf of the Company under the provision of the Land Acquisition Act, 1894 (Act No.1 of 1894), the pieces or parcels of land described and delineated in the Schedule hereto annexed and situated in the revenue estate of Village Phati Shilihar Kothi Kotkandi, Tehsil Kullu, Distt. Kullu, Himachal Pradesh, total measuring 9-15-13 bighas. Having been shown to the satisfaction of the said Government that the proposed acquisition is needed for implementation of 100 MW Malana–II Hydroelectric Project and whereas the said

Government have called upon the Company under the provisions of Section 41 of the Act ibid to enter into an agreement with the Government hereinafter contained.

Now, these presents witness and it is hereby agreed and declared as follows:—

1. On demand, the Company shall pay to the Government of Himachal Pradesh all and every compensation in respect of the said land tendered, paid or awarded to be tendered, paid or awarded by the Collector under the Land Acquisition Act, 1894, or by the Court or Courts to which an appeal from the award of the said Court may be preferred and all costs, charges and expenses of the proceedings in the aforesaid Courts or otherwise incidental to the proposed acquisition or payable in respect thereof under the provisions of the said Act.

2. On demand, made by the said Collector the obligations of the Company under the last preceding clause not being thereby limited, the Company shall deposit with the said Collector such sum or sums of money as in his discretion the said Collector may in anticipation estimate to be necessary for the purpose mentioned in the preceding clause.

3. On payment by the Company of all demands under the foregoing first clause, or, in the discretion of the said Government of Himachal Pradesh (On deposit by the Company of all estimated amounts as provided in the section clause) but not before possession shall have been taken under the provisions of the above mentioned Act, the Governor, Himachal Pradesh shall make over possession of the said land to the company and shall execute and do such all acts and deeds as may be necessary and proper for effectually vesting the same in the Company.

4. In case, Company has offered the land and construction etc. there in as security with the previous sanction of the Government for raising loans from financial Institutions/Banks etc., within in India and outside, the Government not withstanding such sanction shall have recourse to its rights for resumption of the land under this clause even during the period such loan is outstanding, if the land is not utilized for the purpose for which it was acquired under the provisions of the Land Acquisition Act, 1894.

5. The said land shall be held by the Company for the purpose for which it is acquired or purpose legitimately connected as is herein before mentioned and without the sanction in writing of the said Government of Himachal Pradesh first had obtained for no other purpose whatsoever.

6. That said construction shall be completed and fully equipped in all respect ready for use within the time schedule as stipulated in the Implementation Agreement for the Malana-II (100 MW) Hydroelectric Project. Should the said construction not be completed (and fully equipped in all respect ready for use) within the time schedule as stipulated in the Implementation Agreement stated in the last preceding clause or within such further period as in its discretion may be prescribed or allowed by the said Government of Himachal Pradesh or should the said land at any time thereafter cease for a period as prescribed by the Government of Himachal Pradesh to be held and used or cease to be required for the purpose or purposes provided for in the foregoing clauses then in any such case, the said Government may summarily re-enter upon and take possession of the said land together with all structures/ buildings thereon, whether such structures/buildings

were erected before or after transfer of the land and buildings shall absolutely cease and determine and vest in the State Government free from all encumbrances.

7. The company shall provide employment to one member of each of the displaced families during the construction period of the project, which shall form part of the rehabilitation plan to be prepared and implemented at the cost of company. During the operation and maintenance of the project, the company shall give preference for employment to the members of the displaced families employed during the construction period.

8. In case of breach of any conditions by the company, the state Government shall have right to determine the agreement by giving 15 days show cause notice to the company. In case the company fails to explain its position to the satisfaction of the State Government and rectify the breach of the conditions so enumerated in the show cause notice, the State Government shall have absolute right to rescind the agreement and re-enter upon and take possession of the said land together with all structures/ buildings thereon and thereupon the interest of the company in the said land and structures/ buildings shall cease and determine and vest in the state Government free from all encumbrances.

IN WITNESS Where of the seal of the Company has been affixed and the Government of the State of Himachal Pradesh herein to set his hand and seal, the day month and year herein above mentioned.

For and behalf of M/s Everest Power Private Limited.
Sd/-
(Rajender Kumar Pirta)

Witness:

1. Sd/-

2. Sd/-

Governor of Himachal Pradesh
Through
Sd/-
Principal Secretary (Power) to the
Government of Himachal Pradesh.

Witness:

1. Sd/-

2. Sd/-

SCHEDULE

| District | Tehsil | Village | Khasra No. | Area (Bigha) |
|---|---|---|---|---|
| Kullu | Kullu | Phati Shilihar | 3451/1 | 0-03-16 |
| | Kothi | Kotkandi | 3452/1 | 0-02-16 |
| | | | 3453/1 | 0-01-12 |
| | | | 3454/1 | 0-08-08 |
| | | | 3455 | 0-06-00 |
| | | | 3456/1 | 0-11-18 |
| | | | 3457/1 | 0-15-06 |
| | | | 3458/1 | 0-08-02 |
| | | | 3459/1 | 0-00-06 |
| | | | 3479/1 | 0-06-16 |
| | | | 3488/1 | 0-18-02 |
| | | | 3488/2 | 0-09-00 |
| | | | 3490/1 | 0-04-10 |
| | | | 3491 | 0-16-00 |
| | | | 3492/1/1 | 1-00-13 |
| | | | 3492/2/1 | 0-18-11 |
| | | | 3384/1 | 0-05-06 |
| | | | 3385/1 | 0-08-16 |
| | | | 3468/1 | 0-05-05 |
| | | | 3471/1 | 0-03-05 |
| | | | 3472/1 | 0-04-05 |
| | | | 3476/1 | 0-02-05 |
| | | | 3482/1 | 0-02-09 |
| | | | 3483/1 | 0-03-14 |
| | | | 3377/1 | 0-08-12 |
| | | | **Total Kitta-25** | **9-15-13** |

## वहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

27 जुलाई, 2009

**संख्या विद्युत–छ–(5)–19 / 2009.––**यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मैसर्ज एवरेस्ट पावर प्रा0 लि0, भूमिया एस्टेट, नव बहार रोड, शिमला–2, (हि0 प्र0) जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा–3 के खण्ड (ई0) के अन्तर्गत एक कम्पनी है के द्वारा अपने व्यय पर कम्पनी के प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल फाटी शिलीहार कोठी कोटकण्डी, तहसील व जिला कुल्लू में मलाणा–II जल विद्युत परियोजना के सब स्टेशन व सम्पर्क सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए यह घोषणा की जाती है कि उक्त अधिनियम की धारा–7 के उपबन्धों के अधीन भू–अर्जन समाहर्ता एवं उप–मण्डलाधिकारी (नागरिक), कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को एतद्द्वारा भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा–17 की उप धारा–(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है कि अत्याधिक आवश्यक मामला होने के कारण भू–अर्जन समाहर्ता एवं उप–मण्डलाधिकारी (नागरिक), कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 उक्त अधिनियम की धारा–9 की उप धारा–(1) के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।

4. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू–अर्जन समाहर्ता एवं उप–मण्डलाधिकारी (नागरिक), कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

**विवरणी**

| जिला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | रकवा (बीघों में) |
|---|---|---|---|---|
| कुल्लू | कुल्लू | फाटी शिलीहार कोठी कोटकण्डी | 3451/1 | 0-03-16 |
| | | | 3452/1 | 0-02-16 |
| | | | 3453/1 | 0-01-12 |
| | | | 3454/1 | 0-08-08 |
| | | | 3455 | 0-06-00 |
| | | | 3456/1 | 0-11-18 |
| | | | 3457/1 | 0-15-06 |
| | | | 3458/1 | 0-08-02 |
| | | | 3459/1 | 0-00-06 |
| | | | 3479/1 | 0-06-16 |
| | | | 3488/1 | 0-18-02 |
| | | | 3488/2 | 0-09-00 |
| | | | 3490/1 | 0-04-10 |
| | | | 3491 | 0-16-00 |
| | | | 3492/1/1 | 1-00-13 |
| | | | 3492/2/1 | 0-18-11 |
| | | | 3384/1 | 0-05-06 |
| | | | 3385/1 | 0-08-16 |
| | | | 3468/1 | 0-05-05 |
| | | | 3471/1 | 0-03-05 |
| | | | 3472/1 | 0-04-05 |
| | | | 3476/1 | 0-02-05 |
| | | | 3482/1 | 0-02-09 |
| | | | 3483/1 | 0-03-14 |
| | | | 3377/1 | 0-08-12 |
| | | | **किता–25** | **9-15-13** |

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव ।

## FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

*Shimla*-2, *the* 2*nd June*, 2009

**No. FFE-A(B)15-1/2007 (RFO).—**Whereas, Pr. Chief Conservator of Forests, Himachal Pradesh *vide* his letter No.Ft.608-1/63 (E-II) Vol. III dated 6th May, 2009 forwarded copy of Memorandum No. PF/Estt./1068 dated 1-5-2009 of Conservator of Forests, Chamba Forest Circle, alongwith, copy of representation dated 22-4-2009 preferred by Shri Rattan Chand Thakur, Range Forest Officer, Flying Squad Range, Chamba. Vide representation he has submitted that he does not keep good health, due to which, he is not able to perform his duties properly/punctually. And it is not possible for him to do his duty for the rest of his service *i.e.* till his superannuation. He has, therefore, requested for voluntary (premature) retirement from the Govt. service, *w.e.f.* 30-6-2009;

Whereas the Pr. Chief Conservator of Forests, H.P. *vide* his above letter has informed that Shri Rattan Chand Thakur, RFO is neither on leave nor under suspension and that no court/ vigilance/departmental case is pending against the officer.

And, whereas, the request of Sh Rattan Chand Thakur, RFO has been considered carefully and it has been observed that he has preferred his representation on 22-4-2009 and has sought voluntarily retirement, *w.e.f.* 30-6-2009. As such he has not given three months' previous notice for voluntary retirement prior to the date from which he has sought retirement. However, keeping in view his ill health, it has been decided to accept the request of the Officer.

Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in him under first proviso to sub rule (2) of Rule 3 and sub rule (4) of Rule 3 of H.P. Civil Service (Premature Retirement) Rules, 1976, readwith CCS (Pension) Rules, 1972, is pleased to accept the request of Sh.Rattan Chand Thakur, RFO for seeking voluntary retirement from the Govt. Service, *w.e.f.* 30-06-2009 (AN).

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order that Shri Rattan Chand Thakur, Range Forest Officer, shall stand retired from the Govt. service, *w.e.f.* 30-06-2009 (AN).

By order,
Sd/-
*Addl. Chief Secretary.*

---

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित